



भारत सरकार
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

संख्या: सी/551/5/2015-जेपी

दिनांक 28 जनवरी, 2015

श्री रमेशचंद्र जोशी
श्री विष्णुधाम मंदिर
ठाकुर कॉम्प्लेक्स, साईधाम रोड
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली ईस्ट, मुम्बई-400101

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के अंतर्गत मांगी गई जानकारी ।

महोदय,

कृपया दिनांक 02 जनवरी 2015 के आपके आर.टी.आई. आवेदन पंजीकरण संख्या 128/2014 के संबंध में ।

2. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वार्षिक शिखर सम्मेलन बैठक के लिए दिनांक 30 अगस्त से 03 सितम्बर 2014 तक जापान का दौरा किया था। "भारत जापान विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी पर टोकियो की घोषणा" पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रधानमंत्री शिन्जो अबे ने हस्ताक्षर किए थे ।

प्रधानमंत्री अबे ने पांच वर्षों में भारत को आधिकारिक विकास सहयोग (ओडीए) सहित जापान से 3.5 ट्रिलियन येन के सार्वजनिक और वैयक्तिक निवेश तथा वित्तीय सहायता, संरचना, संपर्कता, यातायात प्रणाली, स्मार्ट सिटी, गंगा तथा अन्य नदियों का कार्याकल्प, उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, क्षमता निर्माण, जल सुरक्षा, खाद्य संसाधन, कृषि उद्योग, कृषि कोल्ड चेन तथा ग्रीमीण विकास के क्षेत्रों सहित आपसी लाभ वाली उपयुक्त सार्वजनिक तथा वैयक्तिक परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के अपने इरादे जाहिर किए।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने उत्तरपूर्वी भारत में संपर्कता और विकास में बढ़ोत्तरी तथा उसका भारत में अन्य आर्थिक गलियारों और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ाव के लिए जापान के सहयोग पर विशेष बल दिया जो इस क्षेत्र में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ाने में प्रेरक रहेगा।

जारी किए गए तथ्यपत्र: 'भारत और जापान साझा विकास हेतु साझेदारी' में क्षेत्रीय संपर्कता और सहयोग पर बल दिया गया।

दोनों पक्षों ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी (जेआईसीए) द्वारा पूर्वोत्तर भारत और पड़ोसी देशों के बीच क्षेत्रीय संपर्क पर किए गए अध्ययन का स्वागत किया और क्षेत्र में परिवहन अधोसंरचना परियोजनाओं में जापान को ओडीए प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए संबंधित

प्राधिकारियों को निर्देश दिए। दोनों पक्षों ने भारत और पड़ोसी देशों के बीच अधोसंरचनात्मक विकास सहयोग बढ़ाने तथा सीमा पार व्यापार गतिविधियों की वृद्धि के लिए भारत के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इन्डिया तथा जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के बीच हस्ताक्षरित समझौता जापान का भी स्वागत किया।

दोनों पक्षों ने उत्तरपूर्व भारत में संपर्कता और सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने का निर्णय लिया। जापानी पक्ष ने भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों में रोड संपर्क परियोजनाओं सहित संभावित सहयोग से परिचित कराने के लिए जेआईसीए द्वारा सर्वे की घोषणा की। भारतीय पक्ष ने जापान द्वारा उत्तरपूर्व भारत को दिए जा रहे सहयोग की प्रशंसा की जिसमें वन संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में कई परियोजनाएं साथ ही साथ वह जो फिलहाल जेआईसीए द्वारा साध्यता अध्ययन के अंतर्गत है जैसे इम्फाल, मनिपुर में जल आपूर्ति में सुधार हेतु संभाव्य येन लोन परियोजना शामिल है।

3. यदि आप इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो श्री शिल्पक अंबुले, निदेशक (ईए) तथा अपीलीय प्राधिकारी, कमरा संख्या 183-बी, साउथ ब्लॉक, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को इस पत्र की प्राप्ति के एक महीने के भीतर अपील कर सकते हैं।

भवदीय

बय्यापु संदीप कुमार
(बय्यापु संदीप कुमार)

अवर सचिव (ईए)/सीपीआईओ

प्रतिलिपि:

श्रीमती मीरा सिसोदिया, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।

Ministry of External Affairs
(RTI Cell)

Room No. 2021, A – Wing,
Jawaharla Nehru Bhawan,
23-D Janpath, New Delhi-110011

No. RTI/551/98/2015

Dated: 19/01/2015

Office Memorandum

Subject: Information sought under Right to Information Act, 2005.

An RTI application of Shri/Smt./Kum **Ramesh Ranchoddas Joshi** dated **02/01/2015** (received on **14/01/2015**) is forwarded herewith for processing and responding to the applicant. The reply may be sent directly to the applicant within 30 days of receipt of application by the CPIO under intimation to the RTI Cell.

2. In case, the application does not fall under any of the under mentioned CPIO(s)' jurisdiction, the same may further be transferred to the CPIO(s) in the Ministry to which the subject matter is more closely connected directly under intimation to the applicant and the RTI Cell. If no information is available it may also be conveyed directly to the applicant. In case, the subject matter does not pertain to this Ministry, the same may be communicated to the RTI Cell immediately so that the application or parts thereof can be transferred to the relevant public authority.

3. The applicant has deposited requisite RTI fee of Rs.10/-


↓

(Meera Sisodia)

Under Secretary(RTI)

Tel: 4901 5226/4901 5227

Encl.....As above

✓ To:-

Shri Sandeep Kumar Bayyapu
US (JM)
Room No. 183-B,
South Block,
New Delhi

Copy to for information:-

Shri Ramesh Ranchoddas Joshi, Saidham Mandir, Thakur Complex, Western Express Highway, Kandiwali (Purva), Mumbai-400101. With the request to contact the above mentioned CPIO for further information in the matter.

78/15

769/FS/15
12-1-15
18/1

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/329/2015-पीएमआर

दिनांक: 09/01/2015

कार्यालय ज्ञापन

डायरी संख्या

Dy. No. 407/RTI Sec./2015

दिनांक/Date.. 14/01/2015

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री रमेश चन्द्र जोशी से प्राप्त दिनांक 2.1.2015 का आवेदन-पत्र (क्रमांक 128/15), जो इस कार्यालय में दिनांक 6.1.2015 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।



(पी०के० शर्मा)

अवर सचिव एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

☎: 2338 2590

✓ विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री रमेश चन्द्र जोशी
विष्णुधाम मंदिर
साईधाम मंदिर, ठाकुर कामप्लेक्स
वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, कांदिवली (पूर्व)
मंबई - 400 101

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें। इस कार्यालय के संबंध में सूचना कालान्तर में दे दी जाएगी।

US(RTI)

US(Japan)

shv

14/1


329-15-87411

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अंतर्गत सूचना पाने के लिए

आवेदन पत्र क्रमांक 128 / 2015 दिनांक 2-1-15

329/15

सेवा में,
 मा. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,
 मा. प्रधानमंत्री महोदय का कार्यालय,
 १५२, साऊथ ब्लॉक, रायसिन्हा हिल्स,
 नई दिल्ली - ११००११



१)	आवेदक का पूरा नाम	:	श्री रमेशचंद्र जोशी अध्यक्ष, धर्म रक्षक महामंच अध्यक्ष, राष्ट्र रक्षक जनमंच
२)	पत्ता	:	श्री विष्णुधाम मंदिर, ठाकूर कॉम्प्लेक्स, साईधाम रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली पूर्व, मुंबई ४०० १०१
३)	अपेक्षित सूचना का विवरण	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिनांक १/१२/२०१४ के भाषण के अनुसार जापान सरकार के साथ भारत सरकारने जो अंग्रेमेंट किया है उस अंग्रेमेंट का लाभ त्रिपुरा के नौजवानों को किस तरह से होगा, कब होगा और कैसे होगा? इससे संबंधित सभी सूचना हिंदी भाषा में भेजने की कृपा करें। संलग्न यथोपरि। प्रधानमंत्री महोदय के भाषण की हिंदी प्रतिलिपि हमने उनकी वेब साईट से निकाली है।</p> </div>
क)	संबंध विभाग	:	इस आवेदन पत्र के द्वारा हमने जो सूचना मांगी है वह सूचना जिस किसी भी विभाग में हो वह विभाग
(i)	अपेक्षित सूचना का विस्तृत विवरण	:	उपरोक्त क्रमांक ३ के अनुसार
(ii)	अवधि जिसके लिये सूचना अपेक्षित है	:	उपलब्ध अभिलेख के अनुसार
(iii)	अन्य विवरण	:	हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने के कारण भारतीय संविधान के अनुसार कृपया हमसे केवल राष्ट्रीय हिंदी भाषा में पत्राचार करने की कृपा करें। एवम् पत्राचार में हमारे आवेदन का उपरोक्त क्रमांक एवम् दिनांक का उल्लेख जरूर करने की कृपा करें।
४	मैं कथन करता हूँ कि अपेक्षित सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ८ के आधीन प्रकटीत कीये जाने से प्रतिबन्धित नहीं है और मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार यह आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। यह आवेदन पत्र के साथ नियमों के अनुसार भारतीय पोस्टल ऑर्डर भेजे है। यह आवेदन पत्र हमने आपको मुंबई से स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा है। हमारा मोबाईल नंबर - 09870019990, 09821424410, 09987523450		

MEA
No. Dir(C)

IPONO-93F402740-201-

4124925
4121925

(रमेशचंद्र जोशी)
आवेदक